रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2016/माघ 13, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 200
No. 20] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937 [N.C.T.D. No. 200

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

सं.फा. 23(7)/डीई/आरटीई/2011/442–454.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 की उपधारा (क) के खंड (ii) के उपखंड (ख) के साथ पठित धारा 38 तथा धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित संरचना अनुसार राज्य सलाहकार परिषद् गठित करती हैं :–

अध्यक्ष

माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

पदेन सदस्य

1. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
3. निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।
4. अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
5. राज्य परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान)।
6. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जो परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

नामित सदस्य

1. प्रो0 विनीता कौल, प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा अध्ययन विभाग एवं बचपन शिक्षा एवं विकास केन्द्र की संस्थापक निदेशक, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. डॉ0 एनी कौशी, प्रधानाचार्य, सैंट मैरी स्कूल, दिल्ली।
3. श्री अखा कायहर माऊ, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा अध्ययन विभाग, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।
4. डॉ0 डी0 परीमाला, सहायक प्रोफेसर, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

5. श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, प्रचालन अध्यक्ष, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन, दिल्ली।
6. डॉ. धीर झींगरान, पूर्व निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. श्री रवि गुलाटी, संस्थापक, मंजिल वैल्फेयर सोसायटी, दिल्ली।
8. सुश्री अतिशी मरलीना, सलाहकार माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना राज्य सलाहकार परिषद् का प्रकार्य होगा। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राज्य सलाहकार परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

निबंधन एवं शर्तें बाद में अधिसूचित की जायेंगी।

राज्य सलाहकार परिषद् के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की होगी।

यह अधिसूचना दिनांक 09.04.2014 की पूर्ववर्ती अधिसूचना का स्थान लेगी।

यह माननीय शिक्षा मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

डॉ0 आशिमा जैन, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2016

No.F.23 (7)/DE/RTE/2011/442-454 .— In exercise of the powers conferred by section 38 and sub-section (1) of section 34 read with sub clause (B) of clause (ii) of sub-section (a) of section 2 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the State Advisory Council as per the following composition:-

Chairperson

Hon'ble Minister of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

Ex-officio Members

1. Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.
2. Director (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.
3. Director, State Council of Educational Research and Training.
4. Chairperson, Delhi Commission for Protection of Child Rights.
5. State Project Director (Sarv Shiksha Abhiyan).
6. Additional Director of Education (Schools), Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi shall be ex-officio Member Secretary of the Council.

Nominated Members

1. Prof. Venita Kaul, Professor and Director of School of Education Studies and Founder Director of Center for Early Childhood Education and Development (CECED), at Ambedkar University, Delhi.
2. Dr. Annie Koshi, Principal, St. Mary's School, Delhi.
3. Mr. Akha Kaihrii Mao, Assistant Professor, School of Education Studies, Ambedkar University, Delhi.
4. Dr. D. Parimala, Assistant. Professor, Central Institute of Education, University of Delhi.
5. Mr. Shailendra Kumar Sharma, Head of Operations, Pratham Education Foundation, Delhi.
6. Dr. Dhir Jhingran, Former Director of Elementary Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India.
7. Mr. Ravi Gulati, Founder, Manzil Welfare Society, Delhi.
8. Ms. Atishi Marlena, Advisor to Hon'ble Minister of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

The function of the State Advisory Council shall be to advise the State Government on implementation of the provisions of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, in an effective manner. The

Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi will serve as the Secretariat to the State Advisory Council.

The terms and conditions would be notified later.

The period of tenure of nominated members of State Advisory Council would be two years from the date of issue of this notification.

This notification replaces the previous notification on the subject dated 09/04/2014.

This issue with the prior approval of Hon'ble Minister of Education.

Dr. ASHIMA JAIN, Addl. Secy. (Education)

खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग

(नीति शाखा)

आदेश

दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

सं.फा.3(4)/2002/एफ0एण्डएस0/पी0एण्डसी0/भाग–1/106–125.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 09 मार्च, 1998 के आदेश सं0 9(1)/1997/,एफ.एण्डएस./पी.एण्डसी./ii/252 के अनुसार दिल्ली खाद्य तेल (लाईसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या फा.3(17)/2003/एफ.एण्डएस./नीति/206 के अनुसार दिल्ली दाल (व्यापारियों के लिए लाइसेंस) आदेश, 1974 रद्द करते हैं ।

जबकि उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की दिनांक 28.9.2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2642 (अ) के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाने संबंधी विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2015 जारी किया है;

और जबकि, पूर्वोक्त आदेश के खण्ड 1(1), 1(2) और (2) में व्यवस्था हैं :-

1.(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह, 1 अक्तूबर 2015 से प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के खण्ड 7, उपखण्ड (1), मद संख्या (i) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(i) दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात निम्नलिखित लागू नहीं होगी :–

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक–निर्यातक कोडधारक निर्यातकों के दालों, खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों के निर्यात के लिए तात्पर्यित स्टॉक को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्य क्षेत्र पर :

(ख) अनुज्ञप्ति धारक खाद्य पर संस्करणकर्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में रखे आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्य क्षेत्र पर :

(ग) खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्य क्षेत्र पर।"

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा आदेश करते हैं कि दिल्ली खाद्य तेल (लाईसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा दिल्ली दाल (व्यापारियों के लिए लाईसेंस) आदेश, 1974 संबंधी क्रमशः दिनांक 09 मार्च, 1998 के आदेश सं. 9(1)/97/एफ.एण्डएस./पी.एण्डसी./(ii)/252 तथा दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(17)/2003/. एफ.एण्डएस. /नीति/206 को खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन एवं दालों संबंधी दिनांक 28.9.2015 के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (द्वितीय संशोधन)